संख्या-2023/001-317422023

प्रेषक,

नवनीत सहगल,
अपर मुख्य स चव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
खेल,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

खेल अनुभाग लखनऊ : दिनांक 17 मार्च, 2023

वषय:- जनपद मुरादाबाद में छात्रावास भवन के निर्माण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त वषयक आपके पत्र संख्या- जी-1265/नि0 छात्रावास निर्माण/2022-23, दिनांक 24.01.2023 के क्रम में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है क जनपद मुरादाबाद में छात्रावास भवन के निर्माण हेतु पी0एफ0ए0डी0 द्वारा आंक लत लागत रू0 512.36 लाख की प्रशासकीय एवं वत्तीय स्वीकृति तथा चालू वत्तीय वर्ष- 2022-23 के बजट में अनुदान संख्या-22 के लेखाशीर्षक 4202- शक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय-03-खेलकूद तथा युवा सेवा-800-अन्य व्यय-08 मण्डलीय मुख्यालयों में आवासीय क्रीड़ा छात्रावास निर्माण-24-वृहत निर्माण कार्य "में व्यवस्थित धनरा श रू0 500.00 लाख में से धनरा श रू0 83,00,000 (रुपये तिरासी लाख मात्र) की वत्तीय स्वीकृति निर्गत करने की श्री राज्यपाल निम्न ल खत शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

नियम व शर्तें / प्रतिबन्धों

(1) उक्त स्वीकृत की जा रही धनरा श रू0 83,00,000 (रुपये तिरासी लाख मात्र) निदेशक, खेल द्वारा कोषागार से आहरित करके सम्बन्धित कार्यदायी संस्था- उ0प्र0 राज्य निर्माण सहकारी संघ ल0 (पैकफेड) को उपलब्ध करायी जायेगी।

(2) स्वीकृत धनरा श को आहरित कर बैंक/डाकघर/पी0एल0ए0/खाते में नहीं रखी जायेगी।

(3) योजनान्तर्गत समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियाँ एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करने का उत्तरदायित्व निदेशक,खेल/कार्यदायी संस्था का होगा।

(4) योजना का निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व समस्त कार्यों की ड्राइंग को आवश्यकतानुरूप कार्यदायी संस्था द्वारा स्थानीय वकास प्रा धकरण / सक्षम लोकल आथॉरिटी से स्वीकृत कराया जायेगा।

(5) प्रश्नगत प्रायोजना का गठन उ0प्र0 लोक निर्माण वभाग द्वारा जारी वर्ष 2022 की जनपदीय अनुसूची दर एवं डी0एस0आर0 वर्ष 2021 के आधार पर कया गया है। प्रायोजनान्तर्गत 18 प्रतिशत जी0एस0टी0 की धनरा श अनुमन्य कर दी गयी है। निदेशक, खेल/कार्यदायी संस्था द्वारा अपने स्तर से सुनिश्चित कया जाय क प्रायोजनान्तर्गत व भन्न कार्यमदों में जी0एस0टी0 सम्मि लत न हो।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी कया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमा णकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्या पत की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(6) प्रायोजना में वाह्य वद्युत संयोजन हेतु प्रस्ता वत लागत रू0 5.00 लाख अनुमन्य कया गया है। वाह्य वद्युत संयोजन हेतु वद्युत वभाग से प्राप्त वस्तृत आगणन के आधार पर एवं सक्षम स्तर की तकनीकी स्वीकृति प्राप्त कर सुसंगत वत्तीय नियमों के अन्तर्गत कार्य कया जाना सुनिश्चित कया जायेगा।

(7) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्ता वत कार्यों की मात्राओं को यथावत मानते हुए परीक्षण कया गया है। मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित कये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था/ निदेशक, खेल का होगा।

(8) प्रयोजना के अन्तर्गत फर्नीचर (रू0 32.27 लाख), वाटर कूलर/वाटर प्यूरीफायर एवं साईनेज (रू0 10.00 लाख) सी0सी0टी0वी0 (रू0 2.60 लाख), लैन सस्टेम (रू0 3.18 लाख) एवं सोलर पावर सस्टम 25 के0डब्यू0 (रू0 25.13 लाख) प्रस्ता वत कया गया है, जिसे आंक लत लागत में सम्मि लत नहीं कया गया है।

(9) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्ता वत कार्यों की मात्राओं को यथावत मानते हुए परीक्षण कया गया है मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित कये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था/निदेशक, खेल का होगा।

(10) प्रस्ताव का परीक्षण लागत आगणन में प्रस्ता वत व शष्टियों एवं कार्य प्रावधानों को यथावत् मानते हुए कया गया है, जिनमें कोई उल्लेखनीय परिवर्तन जैसे-नये कार्य बढ़ाना, प्रस्ता वत कार्यो की मात्राओं में वृ द्ध एवं अन्य उच्च व शष्टियाँ इस्तेमाल करना इत्यादि, सक्षम स्तर का पूर्व अनुमोदन प्राप्त कये बिना नहीं कया जायेगा।

(11) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्ता वत कार्यो की द् वरावृत्ति को रोकने की दृष्टि से प्रायोजना की स्वीकृति से पूर्व निदेशक, खेल द्वारा सुनिश्चित कया जायेगा क यह कार्य पूर्व में कसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान एवं भ वष्य में कसी अन्य योजना / कार्यक्रम में आच्छादित कया जाना प्रस्ता वत है।

(12) प्रायोजना का सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जायेगा।

(13) वत्त आय-व्ययक अनुभाग- 1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या- 13/2022/बी-1-454/दस-2022-231/2022 दिनांक 07.06.2022 एवं कार्यालय-ज्ञाप संख्या- 23/2022/बी-1-749/दस-2022-231/2022 दिनांक 04.11.2022 में निहित व्यवस्थानुसार कार्यदायी संस्था को आवश्यकतानुसार धनरा श निर्गत की जायेगी।

(14) कार्य की व शष्टियां, मानक व गुणवत्ता की जिम्मेदारी निदेशक, खेल/कार्यदायी की होगी तथा निदेशक, खेल/कार्यदायी संस्था यह सुनिश्चित करेंगे क कार्य निर्धारित समयाव ध में ही पूर्ण हो जाय।

(15) परियोजना की लागत में टाइम ओवर रन/कास्ट ओवर रन न हो। अतः इस संबंध में शासन द्वारा निर्गत दिशा-निर्देशों एवं बजट मैनुअल के प्रस्तर-212(VII) में दिये गये निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कया जायेगा।

(16) निदेशक, खेल द्वारा यह अनिवार्य रूप से सुनिश्चित कया जायेगा क कार्यो की गुणवत्ता उच्च कोटि की हो एवं समय-समय पर सम्पादित कराये जा रहे निर्माण कार्यो की मानिटरिंग भी की जायेगी।

(17) स्वीकृत धनरा श का व्यय वत्तीय हस्त पुस्तिका के सुसंगत प्रा वधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप कया जायेगा।

(18) कार्यदायी संस्था द्वारा लेबरसेस के भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चत की जायेगी।

(19) प्रश्नगत निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वस्तृत आगणन तैयार कर सक्षम अ धकारी का अनुमोदन प्राप्त करने के साथ-साथ वत्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में व र्णत

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी कया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमा णकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्या पत की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

व्यवस्थानुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त करने के पश्चात ही कार्य प्रारम्भ कया जायेगा।

(20) निदेशक, खेल/कार्यदायी संस्था द्वारा प्रायोजना का निर्माण कार्य निर्धारित समयाव ध में अवश्य पूर्ण करा लया जायेगा।

(21) निदेशक, खेल द्वारा अवमुक्त की गयी सम्पूर्ण धनरा श का उपयो गता प्रमाण-पत्र वर्तमान वत्तीय वर्ष की समाप्ति पर प्राप्त कया जाना सुनिश्चित कया जायेगा।

(22) निदेशक, खेल /कार्यदायी संस्था द्वारा सामग्री एवं सेवाओं के क्रय के लये सुसंगत शासनादेशों में निहित व्यवस्था का अनुपालन सुनिश्चित कया जायेगा।

(23) जी0एस0टी0 आदि की गणना की शुद्धता का उत्तरदायित्व निदेशक, खेल/कार्यदायी संस्था का होगा।

(24) स्वीकृत की जा रही धनरा श यदि कसी ऐसे खाते में रखी जाती है जिसमें ब्याज अर्जित हो तो उक्त ब्याज की धनरा श राजकोष में जमा करायी जायेगी।

(25) स्वीकृत की जा रही धनरा श के सम्बन्ध में वत्त वभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत शासनादेशों में प्रशासकीय व्यय में मतव्ययता संबंधी शासनादेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कया जायेगा।

(26) प्रश्नगत धनरा श की स्वीकृति कसी प्रकार के व्यय करने का प्रा धकार नहीं देता है, जिन मामलों में उ.प्र. बजट मैनुअल और फाइनेन्शियल हैण्डबुक के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार / केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्रा धकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाये।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 83,00,000 (रुपये तिरासी लाख मात्र) को चालू वत्तीय वर्ष 20222023 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 022 लेखा शीर्षक 4202038000800 मण्डलीय मुख्यालयों में आवासीय क्रीडा छात्रावास निर्माण मानक मद 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या < >, दिनांक- मार्च, 2023 मे प्राप्त वत्त वभाग की सहमति से निर्गत कये जा रहे है।

भवदीय,

(नवनीत सहगल)
अपर मुख्य स चव।

संख्या-2023/001-317422023, तद्दिनांक।

प्रति ल प निम्न ल खत को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रे षत:-

1- महालेखाकार उ0प्र0 (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द् वतीय उ0प्र0 प्रयागराज।
2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द् वतीय उ0 प्र0 प्रयागराज।
3- मुख्य कोषा धकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- जिला धकारी, मुरादाबाद।
5- क्षेत्रीय क्रीड़ा अ धकारी, क्षेत्रीय खेल कार्यालय, मुरादाबाद।
6- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य निर्माण सहकारी संघ ल0 (पैकफेड) लखनऊ।
7- वत्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी कया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमा णकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्या पत की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

8- वत्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग- 5
9- गार्ड फाईल/कम्प्यूटर प्रति।

आज्ञा से,

(वनीत प्रकाश)
वशेष स चव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी कया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमा णकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्या पत की जा सकती है ।